

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 900/499/2020/18-5
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

- 1 आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय भोपाल ।
- 2 आयुक्त,
म0प्र0 गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
भोपाल
- 3 आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल ।

विषय :- Compliance in matters before Supreme Court.

उपरोक्त विषयातर्गत उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 490/606/2020/1/8 दिनांक 05.03.2020 की छायाप्रति संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के यथाशीघ्र पालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- यथोपरि।

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	373
दिनांक	15/07/2020
राष्ट्र	12/14
संयु. संचा. (स्था.)	आयुक्त


(डॉ० शुभाशीष बैनजी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

10/7/2020


20/7

21/7

Ag II (N)


20/7/2020

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक 090/606/2020/1/8 भोपाल, दिनांक 05/03/2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल।

विषय:- Compliances in matters before Supreme Court.

उपरोक्त विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रदेश के स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल कौशिक ने अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकरणों में याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थियों के पते में परिवर्तन के कारण उन पर सूचना पत्र का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है। प्रकरणों का शीर्षक प्रत्यर्थियों की मृत्यु के कारण संशोधित करने और उनके स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने तथा प्रत्यर्थियों पर हमदस्त सूचना पत्र की तामिली कर शपथ-पत्र फाईल करने इत्यादि से संबंधित त्रुटियुक्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उपरोक्त त्रुटियों के सुधार के संबंध में जारी आदेश का पालन न किये जाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के यथाशीघ्र पालन हेतु निर्देशित करते हुए माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।


(मनीषा सेंटिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग